न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 56 — दिनांक 07/01/2022

प्रार्थी :-
1. लालाराम पुत्र लिछमणाराम,
जाति जाट, निवासी जैसार
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-
1.रामा पुत्र कबीरा 2.बाबू पुत्र धीरा 3.जुगता
4.उमा 5.ओमा पि.टीकमा 6.पना 7.विशना
8.दौला 9.मूला पि.डूंगरा 10.उदा पुत्र पूनमा
11.कुंपा पुत्र करना 12.केवला पुत्र पूरना,
जातियान मेगवाल, निवासी जैसार
13.दीपा पुत्र पूरना 14.पना 15.कला पि.लाला
16.सोना पुत्र दूदा 17.भीखा पुत्र लिछमणा
जातियान जाट, निवास जैसार
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 352/2018 — दिनांक : 04.01.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र जैसार के मौजा जैसार के खेत खसरा सं. 294/84 रकबा 50.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2022/ 57 to 60 — दिनांक 07/01/2022

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी लालाराम
3. विप्रार्थीगण रामा वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.03.31 17:02:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन